

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0
पटना ।

पटना, दिनांक 18.8.15

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास योजना के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कटिहार जिला अन्तर्गत अक्रियान्वित योजनाओं के बदले वैकल्पिक योजना के रूप में 13 इकाई उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम की राशि 641.09 लाख (छः करोड़ एकतालीस लाख नौ हजार) एवं राज्यांश की सामानुपातिक प्रथम किस्त की राशि 213.68 (दो करोड़ तेराह लाख अड़सठ हजार) अर्थात कुल 854.77 लाख (आठ करोड़ चौब्वन लाख सतहत्तर हजार) लाख रुपये मात्र का जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त डी0डी0 संख्या 577432 दिनांक 04.08.2015 का प्रेषण ।

प्रसंग:- जिला पदाधिकारी, कटिहार का पत्रांक 381/अ0क0 दिनांक 3.8.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 3/2/2015-एम0एस0डी0पी0 दिनांक 26.3.2015 के द्वारा 96वीं प्राधिकृत समिति के दिनांक 26.3.2015 के निर्णय के आलोक में कटिहार जिला अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास योजना के तहत अक्रियान्वित योजनाओं के बदले वैकल्पिक 13 इकाई उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	योजना का नाम	अनुपात	इकाई	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल लागत	केन्द्रांश का प्रथम किस्त	राज्यांश की प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण	75:25	13	131.50	1282.14	427.36	1709.50	641.09	213.68
	कुल				1282.14	427.36	1709.50	641.09	213.68

2. जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम की राशि 641.09 लाख (छः करोड़ एकतालीस लाख नौ हजार) एवं राज्यांश की सामानुपातिक प्रथम किस्त की राशि 213.68 (दो करोड़ तेराह लाख अड़सठ हजार) अर्थात कुल 854.77 लाख (आठ करोड़ चौब्वन लाख सतहत्तर हजार) लाख रुपये मात्र का डी0डी0 संख्या 577432 दिनांक 4.8.2015 मूल रूप में संलग्न कर उक्त योजना के प्रारंभ करने हेतु भेजा जाता है। उक्त राशि को पी0एल0 खाता संख्या 237 में जमा कर चालान की प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।

3. योजनाओं के क्रियान्वयन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभागीय निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार से स्थल का ब्यौरा की मांग की गई है। स्थल का ब्यौरा प्राप्त होने के पश्चात उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1156.....

पटना, दिनांक 18.8.15.....

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1156.....

पटना, दिनांक 18.8.15.....

प्रतिलिपि- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1156.....

पटना, दिनांक 18.8.15.....

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के प्रधान सचिव